प्रतिलिपि आदेश दिनांक 15-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 915-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-7-12 पारितद्वारा नायब तहसीलदार मण्डल ईशानगर तहसील व जिला छतरपुर प्र0क्र0 15/अ-3/11-12.

ठकुरा पुत्र भागुन्ता अहिरवार
निवासी रमपुरा तह0 व जिला
छतरपुर म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

1- गन्सुआ पुत्र श्री मुलिया अहिरवार
निवासी रमपुरा तहसील व
जिला छतरपुर

2 - म0प्र0 शासन --- अनावेदकगण

8पृ21 / 01/04

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 915 / III / 14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15.5.2014	यह निगरानी नायब तहसीलदार, ईशानगर तहसील छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 13 / अ–3 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 30–7–12 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.7.12 एंव अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण कमांक 132 / अ–3 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 19–2–14 का अवलोकन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार के आदेश को संहिता की धारा 129 के अंतर्गत मानकर अपील निरस्त की गई है एंव आदेश दिनांक 30–7–12 को निगरानी योग्य निरूपित किया गया है। 3 / आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव नायब तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 30–7–12 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक क–1 गन्सुवा अहिरवार के आवेदन पर ग्राम रमपुरा भूमि सर्वे कमांक 509 / 2, 510 / 1, 511 / 1, 60 / 22 अ, 60 / 22 ब, 36 / 1, 37 / 1, 27 की भूमियों (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का सीमांकन उपरांत नक्शा तरमीम किया गया है नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–7–12 के पद 3, 4 का उद्धरण इस प्रकार है।	

3. "राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन/ तरमीम प्रतिवेद (प्रदर्स पी–1) , पंचनामा (प्रदर्स पी–2)नक्शा ट्रेस (प्रदर्स पी–3) सूचना पत्र (प्रदर्स पी–4) प्रस्तुत किया गया।

4. रा.नि.पेंन्शिली तरमीम को लाल स्याही से मूल नक्शा पुख्ता करे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल अभिलेखागार हो।

स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–7–12 से वादग्रस्त भूमि का नक्शा तरमीम किया है।

4/ अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 132/अ–3/12–13 में पारित आदेश दिनांक 19–2–14 के अंतिम पद का उद्वरण इस प्रकार है :–

> " निष्कर्ष यह है कि आदेश के बिन्दु कमांक 1 लगायत 06 से स्पष्ट है कि सीमांकन की प्रकिया संपादित हुई है जो धारा 129 के तहत की गई है। मात्र पारित अपीलाधीन आदेश में धारा 70 अंकित किये जाने से सीमांकन का स्वरूप नहीं बदल जायेगा। अस्तु सीमांकन प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्व आलोच्य अपील पोषणीय एंव प्रावधानाधीन न होने से इसी प्रकम पर निरस्त की जाती है। "

5/ राजस्व निरीक्षक व्दारा नायव तहसीलदार के निर्देशों के कम में दिनांक 2–7–11 को वादग्रस्त भूमि के मौके पर जाकर सीमाचिन्ह निर्धारित कराकर प्रतिवेदन दिनांक 5–7–11 प्रस्तुत किया है जिसका अंतिम पद इस प्रकार है :–

> "अस्तु उक्त बटा नम्बारों की तरमीम नक्शे में लालस्याही से प्रस्तावित कर प्रतिवेदन श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु संप्रेषित है ।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण में नक्शा तरमीम की कार्यवाही करके आदेश पारित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन की कार्यवाही मानकर आदेश दिनांक 19.2.14

से अवगत निरस्त करने में त्रुटि की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 19–2–14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ जहां तक नायव तहसीलदार, ईशानगर तहसील छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 13 अ–3/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30–7–12 का प्रश्न है ? इस आदेश के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमियों की सीमायें ज्ञात कर नक्शे को लालस्याही से चिन्हित करने के निर्देश दिये है। राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 2–7–11 को ग्राम रमपुरा में जाकर वादग्रस्त भूमि के सीमाचिन्ह पर पत्थर के निशान लगवाये हैं एंव मौके पर नक्शा तरमीम चिन्हित किया है आवेदक मेढ़िया कास्तकार है न तो उसे व्यक्तिगत सूचना दी गई है और न ही सीमाचिन्ह निर्धारित करते समय मौके वह उपस्थित रहा है तथा पंचनामा आदि पर उसके हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं तथा यह भी प्रतिवेदित नहीं किया गया कि आवेदक मौके पर उपस्थित रहा, किन्तु पंचनामे पर अथवा अन्य अभिलेख पर हस्ताक्षर नहीं किये, जिसके कारण आवेदक की गैर मौजूदगी में राजस्व निरीक्षक व्दारा समस्त कार्यवाही की गई है और राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई कार्यवाही को नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–7–12 से अंतिमता प्रदान की है तथा आदेश पारित करने के पूर्व मेढ़िया कास्तकार होते हुये भी आवेदक को सुनवाई हेतु आहुत नहीं किया है, जिसके कारण नायव तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही नियम विरूद्व होने से दूषित होना पाई गई है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर व्दारा

निगरानी कमांक 915/ III/14

प्रकरण कमांक 132/अ-3/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-14 तथा नायब तहसीलदार ईसानगर द्वारा प्रकरण कमांक 13 अ 3/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30-7-12 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि समस्त मेढ़िया कास्तकारों को व्यक्तिगत सूचना दी जाकर पुनः मौके पर सीमा चिन्ह निर्धारण की कार्यवाही करते हुये संहिता की धारा 70 के अधीन पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जावे। पक्षकार नोट करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर